न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 57/2023 जिला सीकर

1. गणपत राम पुत्र श्री ईश्वर राम, जाति जाट, निवासी ग्राम पलसाना, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तिरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981, ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर के विरूद्ध जिसमें अपीलार्थी की भूमि का नामान्तिरकरण राजस्थान सरकार (सिवाय चक) के लिए स्वीकृत किया गया।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

अपील संख्या 179/2022 जिला सीकर

1. गणपत राम पुत्र श्री ईश्वर राम, जाति जाट, निवासी ग्राम पलसाना, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार पलसाना, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1550 दिनांक 10.09.1982, ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा उप तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर के विरूद्ध जिसमें अपीलार्थी की भूमि का नामान्तरकरण उप तहसील पलसाना के लिए स्वीकृत किया गया।

उपस्थित—

3. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
4. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —18.07.2023

1. यह दोनों अपीले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार पलसाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.09.1981 एवं 10.09.1982 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावे। दोनों दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 241/1641 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, जिसके हाल खसर नम्बर 1817 राजस्व ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित विवादित भूमि का नामान्तरकरण 1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 के द्वारा अपीलार्थी की भूमि का नामान्तरकरण राजस्थान सरकार (सिवाय चक) एवं उप तहसील पलसाना के खोला गया

3. उप तहसीलदार सीकर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 13.09.1981 एवं 10.09.1982 से व्यथित होकर अपीलान्ट गणपत राम पुत्र श्री ईश्वर राम द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप तहसीलदार पलसाना जिला सीकर के नामान्तरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 241/1641 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि का अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा अपीलार्थी के हक में वर्ष 1966 में आंवटन किया गया तथा आंवटन पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा अपीलार्थी के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया, तथा अलोटमेन्ट की दिनांक से ही अपीलार्थी उपरोक्त भूमि पर बिना किसी बाधा व अवरोध के काबिज रहा है, तथा आज भी वर्तमान में उपरोक्त 6 बीघा 167 बिस्वा भूमि पर यथावत काबिज है। जिला कलेक्टर सीकर द्वारा दिनांक 26.08.1982 को नायब तहसीलदार पलसाना को पत्र प्रेषित किया जिसमें यह अंकित किया कि भूमि गत खसरा नम्बर 241/1641 रकबा 6 बीघा भूमि को उप तहसील पलसाना के आंवटन हेतु आरक्षित (सेट अर्पाट) करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। नायब तहसीलदार पलसाना द्वारा उपरोक्त जिला कलेक्टर सीकर द्वारा प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 26.08.1982 की पालना में नामान्तरकरण संख्या–1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 भरने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया, तथा हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार के पलसाना द्वारा उपरोक्त जिला कलेक्टर सीकर द्वारा प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 26.08.1982 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 भरने हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया तथा हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश की पालना व प्रभाव में नामान्तरकरण के रिमार्क कॉलम 16 में यह अंकित किया कि श्रीमान जी मुताबिक आदेश नामान्तरकरण भरकर पेश है। नामान्तरकरण खाना संख्या–14 में अंकित किया कि आदेश श्रीमान जिलाधीश सीकर क्रमांक–3498–3502 राजस्व दिनांक 26.08.1982 आदेश श्रीमान तहसीलदार दांतारामगढ दिनांक 04.09.1982 अंकित किया, तथा खाना संख्या–11 में उप तहसील भवन पलसाना अंकित किया तथा नामान्तरकरण के खाना संख्या–12 में खसरा नम्बर 241/1641 रकबा 5 बीघा गैर मुमकिन भवन अंकित किया गया, तथा उपरोक्त नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा भर कर उप तहसीलदार, उप तहसील पलसाना के समक्ष तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 13.09.1981 एवं दिनांक 10.09.1982 को उप तहसीलदार, उप तहसील पलसाना ने नामान्तरकरण को तस्दीक करने का आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि भूमि खसरा नम्बर 241/1641 रकबा 5 बीघा भूमि आंवटन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सम्भाग

Scanned with OKEN Scanner

हेतु उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि उपरोक्त भूमि को वर्ष 1966 में ही अपीलार्थी को आंवटन कमेटी द्वारा आंवटित कर दी गई थी, तथा तहसील भवन के लिए जिस दिन भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, उस दिन भूमि सिवाय चक या अन्य रीति से आंवटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी, क्योंकि भूमि अपीलार्थी के नाम गैर खातेदारी के रूप में अंकित हो चुकी थी। जिला कलेक्टर सीकर ने भी आदेश दिनांक 26.08.1982 जारी करने से पूर्व तहसीलदार दांतारामगढ व नायब तहसीलदार पलसाना से भूमि के मौके का सत्यापन नहीं करवाया, तथा कार्यालय में बैठकर ही आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार दांतारामगढ ने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1504 एवं नामान्तरकरण संख्या– 1550 उप तहसीलदार पलसाना द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा ना ही कोई कब्जे की जांच की। तहसीलदार दांतारामगढ ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि कृषि भूमि को सिवायचक उसी स्थिति में पुनः दर्ज किया जा सकता है, जब आंवटी द्वारा आंवटन नियमों की पालना नहीं की हो, तथा भूमि कृषि के काम में नहीं ली गई हो, मौजूदा प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 18.03.1970 के विरूद्ध मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से स्थगन प्राप्त कर रखा है। अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1504 एवं 1550 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 05.12.2022 को हल्का पटवारी ने मौके पर आकर अपीलार्थी से कथन किया कि उपरोक्त भूमि में से कुछ हिस्सा उप तहसील पलसाना के नाम 1982 में ही किया जा चुका है, इसलिए उसे भूमि का कब्जा खाली करना पडेगा तथा मौके से बैकब्जा होकर भौतिक रूप से कब्जा हल्का पटवारी को सम्भालाना होगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 को निरस्त किया जाकर उपरोक्त नामान्तरकरण में अंकित भूमि अपीलार्थी के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान प्रदान करें। दिनांक 12.05.2023 को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 की जानकारी हुई, जिसके लिए उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी उसे दिनांक 13.05.2023 को नकल प्राप्त हुई। विवादित भूमि अपीलार्थी की कब्जे काश्त की भूमि है, जो वर्ष 1966 में आवंटन कमेटी द्वारा प्रार्थी को आंवटित की गई थी, तथा भूमि को काश्त कर रहा है, उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 से अपीलार्थी/प्रार्थी के अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिये उपरोक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1504 दिनांक 13.09.1981 एवं उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1550 दिनांक 10.09.1982 विधिवत् रूप जिला कलक्टर सीकर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय अनुसार ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय वर्ष 1981 एवं 1982 के विरूद्ध 41–40 वर्ष बाद अपील की है। लोकस् स्टेण्डाई नहीं बनता है। आंवटन जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश से निरस्त किया गया है। उनकी अपील में अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। अतः नामान्तरकरण खारिज ना हो। 1981 एवं 1982 में तहसील को जमीन आंवटित की गयी है व तहसील कार्यालय भी चल रहा है। वर्ष 1982 की जमाबन्दी में उप तहसील भवन पलसाना संचालित हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1504 दिनांक 13.09.1981 एवं उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1550 दिनांक 10.09.1982

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

विधिवत् रूप से जिला कलक्टर सीकर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय अनुसार ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 13.05.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2023 बाबत वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। पत्रावली में दिनांक 04.07.2023 को बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली दिनांक 04.07.2023 से पत्रावली दिनांक 18.07.2023 में निर्णय हेतु नियत होने से प्रार्थना पत्र दिनांक 11.07.2023 खारीज किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981 एवं 1550 दिनांक 10.09.1982 से अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी. पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1504 दिनांक 13.09.1981 अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 18.03.70 पत्रावली संख्या 19/1968 व आदेश तहसीलदार दांतारामगढ दिनांक 11.09.1981 की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा एवं नामान्तरकरण संख्या 1550 दिनांक 10.09.1982 जिला कलक्टर सीकर के आदेश क्रमांक 3498–3502/राजस्व दिनांक 26.08.82 व आदेश तहसीलदार दांतारामगढ क्रमांक 1851/भू.अ. दिनांक 04.09.1982 की पालना में उप तहसीलदार पलसाना जिला सीकर द्वारा दिनांक 10.09.1982 द्वारा भरा गया है। दोनों अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1504 दिनांक 13.09.1981 एवं उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1550 दिनांक 10.09.1982 ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही आदेश की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो कि प्रकियात्मक है। तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर एवं उप तहसीलदार पलसाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.1981 एवं दिनांक 10.09.1982 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1504 दिनांक 13.09.1981 एवं उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर द्वारा नामान्तरकरण संख्या–1550 दिनांक 10.09.1982 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/23.

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner